– 18 –

03.8.22

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश करने पर मूल वाद के साथ ही यह पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि पक्षकारान का आपस में राजीनामा होने के कारण इस प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। इसलिए नोटप्रेस के आधार पर खारिज किया जावे। अवलोकन किया गया। निवेदन स्वीकार करते हुए यह प्रार्थना पत्र नोटप्रेस के आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

कार्यवाही समझ ली
बनवारीलाल
[illegible]

(अभिलाष)
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]